POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 01

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जनवरी, 2015 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

वर्ष 2014 जाते-जाते सम्पूर्ण विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का सन्देश दे गया। पाकिस्तान के पेशावर में निर्दोष मासूम स्कूली बच्चों का आतंकियों द्वारा बहाया गया खून, माताओं का क्रन्दन हर देश के लिए कभी नहीं भुलाए जाने वाला गहरा जख्म है।

इस घटना ने यह साबित कर दिया कि आतंकवाद को बढावा व उसको पालने वाले आकाओं को भी आतंक का शिकार होना पड़ सकता है। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी ने सांप को पाला, उसे बड़ा किया और उसी सांप ने उसे डस लिया। समय आ गया है सम्पूर्ण विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का। लेकिन इससे पहले इसकी सही परिभाषा जानना जरूरी है।

जो देश आतंकवाद को पनपते देख खुश होते हैं वह यह समझे कि आतंकवाद का मतलब जिहाद नहीं है। दोनों में फर्क है, जैसे पश्चिमी देशों में जहां 'जस्ट वार' की अवधारणा है, उसी तरह से अरब देशों में जिहाद है। इसी जिहाद की गलत परिकल्पना के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, जिसमें किंतु-परंतु नहीं होना चाहिए।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

सबको समझना होगा कि आतंकवादी अच्छे-बुरे, अपने-पराये में नहीं बांटे जा सकते। इनका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद की सही परिभाषा को जब सभी देश एक समान समझने लगेंगे, आतंकवाद यकायक कमजोर पड़ते दिखने लगेगा।

बिजली चोरी रोकने के लिए उठाने होंगे ठोस कदम

'कट्स' की ओर से जयपुर में बिजली चोरी से होने वाली परेशानियों व इससे आम उपभोक्ता व सरकार को होने वाले नुकसान का जायजा कराने के मकसद से 'कटियाबाज' फिल्म दिखाई गई। दीप्ती कक्कड़ और फहाद मुस्तफा निर्देशित इस फिल्म में कानपुर शहर में दिवालिया हो चुकी विद्युत वितरण कंपनी व शहरवासियों के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है।

फिल्म में एक महिला अधिकारी और एक विद्युत चोर ने अपने-अपने ढंग से विद्युत कम्पनी के दिवालियापन को एक संघर्ष के रूप में उजागर किया है। इस फिल्म का बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के अलावा विश्वभर के करीब 50 समारोहों में प्रदर्शन हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है।

कार्यक्रम में एक खुली चर्चा भी हुई, जिसमें खासतौर पर यह उभर कर आया कि बिजली चोरी का खामियाजा निर्दोष व ईमानदार उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए यदि सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी तो राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आगे नहीं आ सकेगा।

स्वच्छ भारत अभियान

ग्रामगदर में मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखा, अच्छा लगा। स्वच्छ भारत का सपना तो तभी साकार हो सकता है जब हर सरकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी समय पर दफ्तर आएं और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएं।

भ्रष्टाचार विकास में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। जनप्रतिनिधियों की स्वच्छ छवि व जन सहभागिता से इस पर नियंत्रण संभव है। यदि हर व्यक्ति यह ठान ले कि वह किसी काम के लिए रिश्वत नहीं देगा तो भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो सकता है। इसके लिए चरित्र निर्माण को अहमियत देनी होगी। यह अच्छी बात है मोदी जी 'मन की बात' कह कर यह प्रयास कर भी रहे हैं।

- हेमलता जैन, सवाई माधोपुर

बतानी होगी आवेदन निरस्त करने की वजह

केन्द्र सरकार ने सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के मकसद से लोक सूचना अधिकारियों को नई हिदायतें दी हैं। अब किसी आवेदन को निरस्त करने के कारण का उल्लेख करते हुए उन्हें आवेदक को यह भी बताना होगा कि वह इसकी अपील किस अधिकारी के समक्ष कर सकेगा। साथ ही उन्हें आवेदक को निम्न जानकारी भी देनी होगी:

- लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष नम्बर और ईमेल आईडी।
- आवेदन निरस्त करने पर सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की उस धारा का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करना होगा कि किस धारा के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
- यदि चाही गई सूचना किसी अन्य कार्यालय या अधिकारी से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी को ऐसा आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित कर उसकी सूचना आवेदक को देनी होगी।
- जवाब के अन्त में यह स्पष्ट करना होगा कि यदि आवेदक लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह जवाब प्राप्ति के 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, दूरभाष नम्बर, ईमेल आईडी का अंकन जवाब में करना होगा।

प्याज के घटिया बीज देना भारी पड़ा

अलवर जिला मंच में किसान शिवलाल व धर्मसिंह की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने वर्ष 2008 में दो किलो प्याज का बीज 1250 रुपए में खरीदा था, लेकिन प्याज अच्छा नहीं उगा। मामले की सुनवाई के बाद मंच ने राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान तथा बीज विक्रेता हरियाली किसान बाजार को आदेश दिए थे कि वह किसान शिवलाल व धर्मसिंह को 27 हजार रुपए बतौर हर्जाना और तीन हजार रुपए परिवाद खर्च अदा करे।

उपभोक्ता मंच के फैसले के खिलाफ बीज विक्रेता हरियाली किसान बाजार ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की। मामले की सुनवाई पर राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से कहा गया कि बीज उनके द्वारा तैयार नहीं थे। जबकि विक्रेता ने निरीक्षण दल में विशेषज्ञ के शामिल नहीं होने का तर्क दिया। आयोग ने राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा कही गई बात को सही मानते हुए उपभोक्ता मंच द्वारा लगाए गए हर्जाने व परिवाद खर्च की पूरी राशि 30 हजार रुपए विक्रेता हरियाली किसान बाजार को अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही, विक्रेता पर अपील करने पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। विक्रेता को आदेश की पालना के लिए 30 दिन का समय दिया गया।

खराब मीटरः मिलेगी पांच फीसदी छूट

क्या आपका दो महीने से ज्यादा समय से बिजली का मीटर खराब है? बिजली कंपनी आपको औसत बिल थमा रही है? तो फिर क्या आपको हर बिल की राशि में 5 फीसदी छूट मिल रही है? यदि नहीं तो यह आपकी जागरूकता की कमी है। खराब मीटर नहीं बदलने की स्थिति में नियमानुसार 5 फीसदी की छूट बिल में दी जानी चाहिए।

राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग के एक नियम के अनुरूप तीनों विद्युत कंपनियों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन जयपुर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने स्तर पर उक्त छूट का लाभ केवल उन मामलों में दिया जा रहा है, जो मीटर गत 12 माह या इससे अधिक समय से खराब पड़े हैं। यह आयोग के मूल नियम के खिलाफ है। आयोग ने इसे वैधानिक सेवा कोड का उल्लंघन मानते हुए जयपुर विद्युत वितरण कंपनी को इस कोड की पालना करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

विधायकों के लिए आदर्श ग्राम योजना!

राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर विधायकों के लिए आदर्श ग्राम योजना की कवायद चल रही है। इसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच चुका है, लेकिन वहां से राज्य में सात साल पहले चली दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी योजना राज्य के विधायकों के लिए भी लागू करने का सुझाव दिया था। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में विधायक आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों के लिए विधायक कोष का कुछ हिस्सा सुरक्षित करने का विचार है।

पंचायत चुनाव में पहली बार 'नोटा'

गांवों में रहने वाले मतदाताओं के लिए खुशखबरी है कि वे विधान सभा, लोकसभा और निकाय चुनाव की तर्ज पर पंचायत चुनाव में भी 'नोटा' का उपयोग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए आवश्यक संशोधन कर लिया है। यह पहला मौका होगा जब पंचायत चुनाव में भी 'नोटा' का उपयोग होगा। सीधा सा मतलब है कि पंचायत चुनाव में किसी भी प्रत्याशी से अगर मतदाता सहमत नहीं है तो वह मतदान में हिस्सा लेकर 'नोटा' का उपयोग कर सकेगा।

हर ग्राम पंचायत में होंगे सेवा केंद्र

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अजमेर में भामाशाह योजना के तहत पहला कार्ड संपत देवी को सौंपा। पटेल मैदान में इस योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ की योजनाओं का पैसा इस कार्ड से मिलेगा।

अभी इससे पेंशन, स्कॉलरशिप, राशनकार्ड और मनरेगा योजना को जोड़ा जा चुका है। स्वास्थ्य बीमा योजना को भी इससे जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ड का लाभ महिलाओं को मिल सके, इसके मद्देनजर हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक सेवा केन्द्र तथा शहरों में पर्याप्त संख्या में केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

बेरोजगार होंगे हुनरमंद

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वहां के निर्धन बेरोजगार युवाओं को हुनरमंद बनाना और रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ना जरूरी है। इस मकसद से राज्य सरकार ने अभिनव योजना जारी की है जिसके तहत गांवों में विशेष ग्राम सभाएं करने की योजना है।

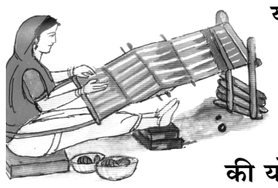

ग्रामीण विकास मंत्रालय की पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण केन्द्र पर चयनित युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। आवासीय प्रशिक्षण में रहने व खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क होगी।

खुद करें कागजात का सत्यापन

अब अपने कागजात का सत्यापन कराने के लिए आपको राजपत्रित अधिकारियों के घरों या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप खुद अपने कागजात का सत्यापन कर सकेंगे।

प्रदेश में यह व्यवस्था एक जनवरी 2015 से लागू हो चुकी है। यदि आपने अपने कागजात का सत्यापन गलत किया तो आपको सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा।

मेवाड़ विकलांग सेवा ने बढ़ाए कदम

चित्तौड़गढ़ जिले में 'कट्स' मानव विकास केन्द्र ने पहल करते हुए क्षेत्र के दूरस्थ गांवों के विकलांगजनों को एक मंच प्रदान किया है। तीन दिसम्बर 2010 को विश्व विकलांग दिवस पर महिलाओं सहित 185 विकलांगजनों ने इसमें भाग लेकर अपनी ताकत का अहसास कराया था। अब विकलांग सेवा संस्थान का गठन करते हुए उसका पंजीयन भी कराया गया है। मंच से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 600 विकलांग जुड़ चुके हैं।

साईटसेवर्स के सहयोग से 'कट्स' द्वारा संचालित राजस्थान सामाजिक समावेशन कार्यक्रम से उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने ही विश्व विकलांग दिवस के पूर्व निम्बाहेड़ा व कपासन में कार्यकारिणी का गठन किया गया। संस्थान द्वारा निकट भविष्य में विशेष योग्यजनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और सरकारी स्तर पर अन्य सुविधाओं के लिए पैरवी की जाएगी।

आम आदमी बीमा योजना शुरू

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की एक लाख 43 हजार 504 महिलाओं को आम आदमी बीमा योजना से लाभान्वित किया जाएगा।

योजना के तहत लाभान्वित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के परिवारों की सामान्य व प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30 हजार रुपए व दुर्घटना में मृत्यु और पूर्णतया अपंग होने पर 75 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। बीमित महिलाओं के कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाले दो बच्चों को 100 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

जागो ग्राहक जागो

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org/cart

कट्स कार्ट

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर